

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, (नागौर)

पीठासीन अधिकारी - रामसुख गुर्जर RAS
राजस्व वाद संख्या 110/18

वादी

आणची देव

बनाम

कैम्प ग्राम पंचायत शिव

प्रतिवादीगण,

तहसीलदार

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 17/5/18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री आणची देव पुत्र मोहनराज जाति गाल निवासी परालपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है, वादी का नाम ग्राम परालपुरा के खाता संख्या/खसरा नम्बर 34 में श्री आणची देव पुत्र मोहनराज जाति गाल अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/ आधार कार्ड में सही नाम आणची देव पुत्र मोहनराज है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट कैम्प 17/5/18 में पेश करे। पत्रावली कैम्प शिव में पेश हुई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती हेतु कैम्प 17/5/18 में दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल किये। कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम शिव तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 34 में वादी श्री आणची देव पुत्र मोहनराज गाल निवासी परालपुरा की जगह वादी का सही नाम आणची देव पुत्र मोहनराज जाति गाल निवासी परालपुरा दुरुस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो, मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/5/18 को सरे आम कैम्प शिव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)